उत्तर प्रदेश शासन
सचिवालय प्रशासन अनुभाग–13(विविध)
संख्या–187/बीस–13–वि–2014–2(लैपटाप)/10
लखनऊ, दिनांक :23 जनवरी, 2014

कार्यालय–ज्ञाप

विषयः– शासन स्तर पर तैनात विशेष सचिवों को कम्प्यूटर उपकरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निरन्तर हो रहे परिवर्तन के फलस्वरूप अधिकारियों को कम्प्यूटर के उपयोग की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के दृष्टिगत कार्यालय ज्ञाप संख्या–523/बीस–क.प्र.–2010–2(विविध)/10, दिनांक 22 मार्च, 2010 एवं सपठित कार्यालय–ज्ञाप संख्या–1294/बीस–क.प्र.–2010–3(लैपटाप)/10, दिनांक 04 अगस्त, 2010 एवं कार्यालय–ज्ञाप संख्या–2495/बीस–क.प्र.–2011–3(लैपटाप)/09, दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 द्वारा शासन स्तर पर तैनात विशेष सचिवों को लैपटाप कम्प्यूटर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में निर्धारित नीति को सम्यक विचारोपरान्त अवक्रमित कर तात्कालिक प्रभाव से निम्नानुसार संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. शासन स्तर पर तैनात समस्त विशेष सचिवों को उ. प्र. सचिवालय में तथा विशेष सचिव, श्री राज्यपाल को राज्यपाल सचिवालय में तैनाती के समय कम्प्यूटर (जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में कम्प्यूटर के रूप में परिभाषित हो–यथा पर्सनल कम्प्यूटर, लैपटाप, टैबलेट आदि) अनुमन्य होगा। उक्त के अतिरिक्त उप महानिदेशक, एनआईसी एवं राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी की संस्तुति पर सचिवालय के विभिन्न भवनों में कम्प्यूटर नेटवर्क के संचालन/अनुरक्षण से सम्बन्धित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) के अधिकारियों तथा अनुभाग अधिकारी, सचिवालय प्रशासन अनुभाग–13(विविध) को भी यह सुविधा अनुमन्य होगी।

2. उपरोक्त कम्प्यूटर उपकरण क्रय करने हेतु अधिकतम वित्तीय सीमा समस्त कर एवं संस्थागत व्यय सहित रू0 75,000/– होगी किन्तु एक ही प्रकार के उपकरण एक से अधिक नहीं क्रय किये जा सकेंगें। उदाहरणस्वरूप दो लैपटाप, दो टैबलेट या दो पर्सनल कम्प्यूटर अनुमन्य नहीं होंगें, जबकि एक लैपटाप व एक टैबलेट अथवा एक टैबलेट व एक पर्सनल कम्प्यूटर या फिर इसी वित्तीय सीमा के अन्तर्गत तीनों चीजें क्रय की जा सकती हैं।

3. उक्त अधिकारियों हेतु उनके द्वारा की गई माँग के अनुरूप प्रश्नगत कम्प्यूटर उपकरणों का क्रय/आवंटन एवं उसके अनुरक्षण का कार्य सम्बन्धित विभाग के शाखा अधिष्ठान अनुभाग द्वारा किया जाएगा। सचिवालय प्रशासन विभाग में उक्त कार्य का दायित्व सचिवालय प्रशासन अनुभाग–13(विविध) का होगा।

4. सचिवालय प्रशासन विभाग के बजट सेल अनुभाग द्वारा प्रत्येक विभाग को माँग के अनुरूप उनके विशेष सचिव हेतु उपरोक्त निर्धारित वित्तीय सीमा रूपये 75,000/– तक अनुदान संख्या–78 के सुसंगत लेखाशीर्षक से बजट आवंटित किया जाएगा।

5. कम्प्यूटर उपकरणों के ब्राण्ड/मेक का चयन सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा स्वयं किया जायेगा।

4/